

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या— 11/2021

बउनवान

ओमप्रकाश आयु 62 वर्ष पुत्र श्री नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी सीमली, तहसील—बारां,
जिला—बारां (राज.)

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बारां

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—1. श्री बृजराज किशोर शर्मा, अभिभाषक
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)
(रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक— 05.05.2022



अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 09.10.2020 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम सीमली, तहसील—बारां की आराजी खसरा नम्बर 1036/974 रकबा 0.80 हैक्टर किस्म—चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 400/—रूपये अर्थदण्ड एवं 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट का अपील में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये बगैर हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बेदखलीनामा व पैमाईश रिपोर्ट शामिल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी माना है जबकि अपीलांट का वर्णित आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.10.2020 निरस्त फरमाया जावे।



इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं परोकार सरकार की सुनी।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी माना है तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए सजायाब किया गया है जबकि अपीलांट का वर्णित आराजी पर कब्जा नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जावे।

दौराने बहस परोकार सरकार ने अभिभाषक अपीलांट के तर्कों का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अपीलांट ने वर्णित आराजी पर संवत् 2076 में भी अतिक्रमण किया था जिसे प्रकरण संख्या 284/20 निर्णय दिनांक 27.02.2020 से बेदखल किया गया था। इस प्रकार अपीलांट का वर्णित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना प्रमाणित है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। पटवारी हल्का के बयान से पाया जाता है कि विवादित आराजी पर अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 1036/974 रकबा 0.80 हैक्टर किस्म-चारागाह ग्राम सीमली पर सम्वत् 2076 में भी अतिक्रमण किया था जिसे मिसल नम्बर 284/20 में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2020 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर ही सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 1134/20 में पारित आदेश दिनांक 09.10.2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।



(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर, बारां
बारां (राज.)